कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून

संख्याः 801/आ0स0/मदिरा दुकान अनुज्ञापन निरस्त/2025–26/दिनांक ~~मई~~ जून 9,2025

प्रेषक,

जिला आबकारी अधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
देहरादून।

0c/Ex.
57
जिलाधिकारी
दिनांक 9.6. देहरादून

विषय : **आदेश अनुपालन सम्बन्धी।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्याः793/आबकारी अनुभाग/ 2025/दिनांक 06.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत महोदय के आदेश संख्याः792/आबकारी अनुभाग/2025, दिनांक 06.06.2025 के कम अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि महोदय द्वारा अपने आदेश संख्याः792/आबकारी अनुभाग/2025, दिनांक 06.06.2025 द्वारा जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा यातायात प्रबन्धन, जन सुरक्षा व व्यापक जनहित में लिये गये निर्णयों को सर्वोपरि रखते हुए निम्नानुसार 06 मदिरा दुकानों का लाईसेंस उस अवधि तक निलम्बित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं जब तक कि इन्हें किसी अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जाता हैः–

क0 सं0	मदिरा दुकान का नाम	प्रकार
1	जीएमएस रोड।	विदेशी
2	चकराता रोड–2 निकट बिन्दाल पुल।	विदेशी
3	डालनवाला निकट परेड़ ग्राउण्ड।	विदेशी
4	अधोईवाला चूना भट्टा	विदेशी
5	अधोईवाला चूना भट्टा	देशी
6	करनपुर (परेड़ ग्राउण्ड)	देशी

महोदय उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत उपरोक्त 06 मदिरा दुकानों को दिनांक 07.06.2025 को प्रातः 09.00 बजे सील कर बंद कर दिया गया है। प्रश्नगत मदिरा दुकानों की एल0एल0–2/सी0एल0–2 गोदामों से निकासी एवं दुकानों से बिकी पूर्णतः बन्द है। सुलभ संदर्भ हेतु मदिरा दुकानों के फोटोग्राफ संलग्न हैं।

अतः आख्या महोदय की सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नःयथोक्त।

भवदीय,

09/06/25

(के0पी0 सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपिः आबकारी आयुक्त, महोदया को सूचनार्थ प्रेषित।

(के0पी0 सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कम्पोजिट दुकान - अधोईवाला, चूनाभट्टा

विदेशी मदिरा दुकान
डालनवाला, निकट - परेड ग्राउण्ड

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

देशी/मांस दुकान - अधोईवाला, चूनाभट्टा

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner